दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आदेश की तिथि: 30 अप्रैल, 2024

नि.प्र.अ. 197/2021

लवनीत सिंह एवं अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा : श्री जी.के. भारती और श्री तनिष्क खुराना, अ-1 सहित अधिवक्तागण

बनाम

नीरज सरना .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री आर.एस.चग्गर, सुश्री संगीता भामरा और श्री अमन शर्मा, अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र धारी सिंह

<u>आदेश</u>

<u>न्या. चंद्र धारी सिंह (मौखिक)</u>

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद सि.प्र.सं.) के आदेश नियम 7 के सहपठित धारा 96 के तहत तत्काल नियमित प्रथम अपील

अपीलार्थीगण की ओर से 10 फरवरी, 2020 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. तत्काल याचिका के तथ्य निम्नानुसार हैं:

क. अपीलार्थी सं.1 अर्थात श्री लवनीत सिंह मेसर्स डैशमेंट जी टेलीकॉम अर्थात यहां अपीलार्थी सं. 3, के नाम और शैली के तहत मोबाइल फोन की बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

ख. प्रत्यर्थी, अर्थात वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थीगण, अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के खिलाफ सि.प्र.सं. के आदेश के तहत सि.वा.जि.न्या. सं. 77/2019 के तहत एक संक्षिप्त वाद दायर किया था, जिसमें लंबित बकाया और भविष्य के ब्याज और लागतों के साथ 30,00,000/- रुपये की वसूली की मांग की गई थी।

ग. उपर्युक्त सिविल वाद में, प्रत्यर्थी ने दलील दी थी कि पक्षकारगण का एक-दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था और चूंकि अपीलार्थीगण को उपरोक्त व्यवसाय चलाने में कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने मैत्रीपूर्ण ऋण के लिए प्रत्यर्थी से संपर्क किया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त ऋण राशि चुकाने में असफल होने पर प्रत्यर्थी ने उपरोक्त वाद दायर किया।

घ. इस वाद में, अपीलार्थीगण को सम्मन जारी किया गया जिसके बाद अपीलार्थीगण ने सि.प्र.सं. के आदेश के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसके माध्यम से वे उपस्थित हुए।

ङ. प्रत्यर्थी/ वादी ने निर्णय के लिए समन जारी करने के लिए सि.प्र.सं. के आदेश नियम 3 (4) के तहत एक आवेदन दायर किया और परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण को निर्णय के लिए समन जारी किए गए, जो 22 मई, 2019 को तामील किए गए।

च. इसके बाद, अपीलार्थीगण ने 10 जुलाई, 2019 को विलंब की क्षमा के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 के सहपठित आदेश नियम 3 (7) के तहत एक आवेदन के साथ वाद का बचाव करने की अनुमति की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने उपर्युक्त आवेदन पर अपना उत्तर दाखिल करने के अलावा, निर्णय से पहले कुर्की के लिए सि.प्र.सं. के आदेश नियम 5 के तहत एक आवेदन दायर किया और सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1 और 2 के तहत एक अन्य आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलार्थीगण के खिलाफ अपनी पैतृक संपत्ति को न बेचने के लिए अंतरिम व्यादेश की मांग की गई।

छ. इसके बाद, अपीलार्थीगण द्वारा बचाव के लिए अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन को किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, अपीलार्थीगण द्वारा विलंब से आवेदन दाखिल करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में विफलता के कारण, और 10 फरवरी, 2020 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री के माध्यम से उपर्युक्त संक्षिप्त वाद प्रत्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

ज. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आक्षेपित निर्णय और डिक्री को रद्द करने की मांग की।

3. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री विधि की दृष्टि से खराब है और किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि 15 मई, 2019 को भेजे गए सि.प्र.सं. के आदेश नियम 3 के तहत निर्णय के समन अपीलार्थीगण को 22 मई, 2019 को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि, अपीलार्थी संख्या 1 के अंशकालिक कर्मचारियों में से किसी एक को ये प्राप्त हुए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त समन अपीलार्थी सं. 1 को 29 जून, 2016 को कुछ अभिलेख/दस्तावेज ढूँढते समय मिले।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित करते समय, विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण के इस तर्क को समझने में विफल रहा कि समन की तामील की अवधि के दौरान, अपीलार्थी संख्या 1 को उसके वित्तीय संकट के कारण कई सारे समन, कानूनी नोटिस प्राप्त हुए थे।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अपीलार्थी संख्या 1 के संज्ञान में सम्मन आया, तो उसने तुरंत अपने अधिवक्ता को सूचित किया, जो भारत से बाहर थे और 29 जून, 2019 की शाम तक वापस आने वाले थे।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया कि 29 जून, 2019 के बाद भी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे शहर से बाहर पंजाब गए हुए थे और 8 जुलाई, 2019 को ही वापस लौटे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि बचाव के लिए अनुमति की मांग करने वाले आवेदन के साथ-साथ विलंब की क्षमा की मांग करने वाला आवेदन तैयार था, तथापि, अत्यधिक जल्दबाजी के कारण, विलंब की क्षमा की मांग करने वाला आवेदन, बचाव के लिए अनुमति की मांग करने वाले आवेदन के साथ दाखिल नहीं किया जा सका।

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय साक्ष्य में प्रस्तुत अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के यात्रा अभिलेखों पर विचार करने में विफल रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि बचाव के लिए अनुमति आवेदन दाखिल करने में विलंब के लिए आवेदन में बताए गए कारण वास्तविक थे और "पर्याप्त कारण" की परिभाषा के अंतर्गत आते थे।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित करते समय अपीलार्थीगण से वसूल की जाने वाली कथित राशि की मात्रा तय करने में गलती की।

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी अपने द्वारा वादपत्र में किए गए किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए कोई लिखित अनुबंध या कोई पत्राचार प्रस्तुत नहीं कर सका जिसे अनुबंध के रूप में पढ़ा जा सके।

11. यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी ने मूल रूप से अपीलार्थी संख्या 1 से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से परिचय कराने के उद्देश्य से संपर्क किया था, जो अपीलार्थी संख्या 1 को उस समय उसकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध करा सकें। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी ने ऋण प्राप्त करने में अपीलार्थीगण की सहायता की और सहायता करने के बहाने उसने अपीलार्थी संख्या 1 से विभिन्न चेक लिए, जिसमें कहा गया कि यह वित्तीय संस्थानों द्वारा मांगा गया एक सुरक्षा उपाय है।

12. यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण के भोलेपन का फायदा उठाते हुए, प्रत्यर्थी ने उनसे प्राप्त चेकों में फर्जी रकम और तारीखें भर दीं और उसके बाद उन्हें बैंक में प्रस्तुत किया, ताकि अपीलार्थी सं. 1 की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जा सके और इस तरह की कपटी रणनीति और तुच्छ वादों के साथ उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा सके।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान वसूली वाद दुर्भावनापूर्ण, शरारतपूर्ण और बिना वादहेतुक या किसी भी गुणागुण के है और इसे खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी को अनुचित कठिनाई पैदा करने और

अपीलार्थीगण से अनुचित धनराशि वसूलने के प्रयास में उन्हें और अधिक प्रताड़ित करने के लिए झूठे और तुच्छ मामले दायर करने की आदत है।

14. इसलिए, पूर्वोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल अपील को अनुमति दी जाए और प्रार्थना के अनुसार राहत प्रदान की जाए।

15. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस तत्काल अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि इसमें कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

16. यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपील विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के इरादे से दायर एक झूठा और मनगढ़ंत दावे के अलावा और कुछ नहीं है।

17. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही ढंग से अपीलार्थीगण के विलंब क्षमा आवेदन को खारिज करने का आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित की है, क्योंकि वे बचाव की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने में इस तरह के विलंब को क्षमा करने के लिए कोई भी ठोस, प्रासंगिक और पर्याप्त आधार प्रकट करने में विफल रहे।

18. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद 1 अगस्त 2018 को जारी चेक संख्या 000722 के आधार पर दायर किया गया था, जो एक्सिस बैंक,

हडसन लाइन्स, नई दिल्ली- 110009 पर 30,00,000/- रुपये की राशि का था, जिस पर अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षर किए गए और उसे जारी किया गया तथा अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्यर्थी को मित्रवत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन में सौंप दिया गया, जिसे अपीलार्थी संख्या 1 और 2 ने प्रत्यर्थी से लिया गया था। इसके अलावा, वादपत्र के साथ प्रत्यर्थी द्वारा दायर बैंक विवरण स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न तिथियों पर अपीलार्थीगण को भुगतान जारी करने का खुलासा करता है।

19. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित ही आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित की है, क्योंकि प्रतिवादी का मामला, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध है, जिन पर विधि अनुसार विचार किया गया है, इसलिए, संक्षिप्त वाद के गुणागुण के संबंध में निष्कर्ष सही हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधता नहीं है।

20. यह प्रस्तुत किया जा सके अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कोई भी 'पर्याप्त कारण' स्पष्ट करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत निर्णय के लिए समन की तामील की तारीख से यानी 22 मई, 2019 को बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन को दाखिल करने में 38 दिनों के विलंब को क्षमा किया जा सके।

21. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण की ओर से किए गए कथन अस्पष्ट और निराधार हैं, क्योंकि अपीलार्थीगण ने इस तथ्य को छिपाया है कि उन्हें सम्मन उनके मैनेजर श्री भूपेश के माध्यम से विधिवत रूप से भेजे गए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय के लिए उक्त सम्मन की एक प्रति तथा शिकायत की एक प्रति अपीलार्थी संख्या 1 को फोन पर विधिवत प्राप्त हुई तथा प्रक्रिया सर्वर के अनुसार इसका तथ्य अभिलेख पर है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी, अपीलार्थीगण को संक्षिप्त वाद के लंबित होने की पूरी जानकारी थी क्योंकि अपीलार्थीगण ने सि.प्र.सं. के आदेश नियम 2 के तहत सम्मन की तामील के बाद निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा दी थी। इसलिए, पूर्वोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए।

22. पक्षकारगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

23. अपीलार्थीगण का मामला यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री को गलत तरीके से पारित किया है क्योंकि यह मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहा है।यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले अपीलार्थीगण के आवेदन पर निर्णय देने में गलती की है,

क्योंकि वह उक्त विलंब के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है।

24. यह दावा किया गया है कि 15 मई, 2019 को भेजे गए निर्णय के समन अपीलार्थीगण को 22 मई, 2019 को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि उन्हें 14 जून, 2019 को अपीलार्थी संख्या 1 के अंशकालिक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया, जो इसकी सूचना देने में विफल रहा और 29 जून, 2016 को ही अपीलार्थी संख्या 1 को कुछ अभिलेख/दस्तावेज ढूंढते समय उपरोक्त समन के बारे में पता चला। यह भी दावा किया गया है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त की जानकारी मिलने के बाद तुरंत अपने अधिवक्ता के कार्यालय को सूचित किया, हालांकि, वह भारत से बाहर थे और उन्हें 29 जून, 2019 को शाम को वापस आना था।

25. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता दिल्ली में नहीं थे क्योंकि वह पंजाब गए थे और 8 जुलाई, 2019 को ही लौटे। आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि बचाव की अनुमति के लिए आवेदन तथा विलंब क्षमा के लिए आवेदन तैयार थे, तथापि, अत्यधिक जल्दबाजी के कारण बचाव की अनुमति के लिए आवेदन के साथ विलंब क्षमा के लिए आवेदन दायर नहीं किया जा सका।

26. अपीलार्थीगण ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया वाद पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है तथा 30,00,000/- रुपए की डिक्री प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण को अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ धन की सख्त जरूरत थी और प्रत्यर्थी ने इस लेनदेन में अपीलार्थीगण की सहायता की और सहायता करने के बहाने उसने अपीलार्थी संख्या 1 से विभिन्न चेक लिए। अंततः, उक्त चेकों को प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और विद्वान न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए, तत्काल अपील की अनुमति दी जा सकती है और विधि की नजर में खराब होने के कारण आक्षेपित निर्णय और डिक्री अपास्त की जा सकती है।

27. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय और डिक्री विचारण विद्वान न्यायालय द्वारा उसके अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और विधि के अनुसार पारित की गई है।

28. यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी से मैत्रीपूर्ण ऋण प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था और बदले में, अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त

मैत्रीपूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अपनी कानूनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए, दिनांक 1 अगस्त, 2018 को एक चेक, संख्या 000722, एक्सिस बैंक, हडसन लाइन्स, नई दिल्ली- 110009 पर आहरित 30,00,000/- रुपये के लिए हस्ताक्षरित और जारी किया गया था। चूंकि अपीलार्थी ऋण राशि चुकाने में विफल रहे, इसलिए सि.प्र.सं. के आदेश के तहत संक्षिप्त वाद दायर करके इसे वसूलने की मांग की गई।

29. अपीलार्थीगण द्वारा विलंब के लिए क्षमा मांगने के आवेदन के संबंध में, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण को उपरोक्त संक्षिप्त वाद के बारे में पूरी जानकारी थी क्योंकि उनके अधिवक्ता सि.प्र.सं. के आदेश नियम 2 के तहत सम्मन की तामील के बाद निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित हुए थे।

30. यह भी दावा किया गया है कि समय पर समन प्राप्त न होने के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा लिया गया आधार त्रुटिपूर्ण और निराधार है, क्योंकि अपीलार्थी निर्णय के लिए समन की तामील की तारीख अर्थात 22 मई, 2019 से बचाव के लिए अनुमति हेतु आवेदन दाखिल करने में 38 दिनों के विलंब को क्षमा करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कोई 'पर्याप्त कारण' स्पष्ट करने में विफल रहे हैं।

31. इसके अलावा, अपीलार्थीगण की ओर से किए गए कथन अस्पष्ट और निराधार हैं क्योंकि अपीलार्थीगण ने इस तथ्य को छिपाया है कि उनके प्रबंधक श्री भूपेश के माध्यम से उन्हें सम्मन की विधिवत तामील कराई गई थी, जिन्होंने अपीलार्थी संख्या 1 से फोन पर संपर्क करने और इस संबंध में उससे निर्देश लेने के बाद, वादपत्र की एक प्रति के साथ-साथ निर्णय के लिए उक्त सम्मन की प्रति प्राप्त की थी और उक्त तथ्य प्रक्रिया सर्वर की रिपोर्ट में विधिवत दर्ज है। अतः, आक्षेपित निर्णय और डिक्री कानून के अनुसार तथा मामले के तथ्यों पर समुचित विचार करने के पश्चात पारित की गई है, जिससे यह तत्काल अपील खारिज किये जाने योग्य है।

32. इस मोड़ पर, यह न्यायालय, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की वैधता का पता लगाने के लिए, आक्षेपित निर्णय और डिक्री की अंतर्वस्तु का अवलोकन करेगा, जिसके प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:

> *"....6. संदर्भित आवेदन पर वापस आते हुए, अर्थात आदेश नियम 3(7) के साथ धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत प्रतिवादीगण की ओर से वाद का बचाव करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने की प्रार्थना की गई, आवेदन में कहा गया है कि निर्णय के लिए सम्मन प्रतिवादीगण के नौकर को 14.06.2019 को प्राप्त हुआ, जो प्रतिवादीगण को इसके बारे में सूचित करना भूल गया और यह प्रतिवादी संख्या 1 को केवल 29.06.2019 को पता चला जब वह कुछ दस्तावेजों/चालान आदि ढूँढ रहा था। प्रतिवादी सं. 1 ने तुरंत अपने अधिवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह भारत से बाहर थे और 29.06.2019 की देर शाम को वापस लौटने वाले थे। हालाँकि, 29.06.2019 के बाद, प्रतिवादीगण के*

विद्वान अधिवक्ता दिल्ली में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे पंजाब गए थे और 08.07.2019 को ही वापस आए।

आगे कहा गया है कि वाद के बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन को दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले वर्तमान आवेदन को वाद के बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन के साथ दायर किया जाना था, लेकिन किसी तरह प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के लिपिक स्टाफ की गलती के कारण, इसे वाद के बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन के साथ दायर नहीं किया जा सका।

7. वादी ने संदर्भित आवेदन पर जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है तथा वाद का बचाव करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए कोई भी ठोस, प्रासंगिक और पर्याप्त आधार बताने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

8. मैंने दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुनें हैं और इस संबंध में मामले की विधि का भी अध्ययन किया है।

बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वादी ने उपरोक्त अनादरित चेक के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही भी शुरू की है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि संदर्भित आवेदन में कोई विवरण नहीं है और आवेदन में उल्लिखित आधार वास्तविक प्रकृति के नहीं हैं, इसलिए इसे खारिज किया जा सकता है।

9. मैंने विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है अर्थात येस बैंक में खोले गए बचत बैंक खाते के संबंध में वादी के बैंक विवरण की प्रमाणित प्रति; प्रतिवादी सं.1 द्वारा वादी के पक्ष में जारी चेक संख्या 000722 दिनांक 01.08.2018 की प्रमाणित प्रति, जिसकी राशि रु. 30,00,0001 है; चेक वापसी ज्ञापन दिनांक 14.08.2018; एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी द्वारा दायर शिकायत मामले की शि.मा. सं. 4716/2018 की प्रमाणित प्रति; दिनांक 28.08.2018 के कानूनी मांग नोटिस की कार्यालय प्रति की प्रमाणित प्रति; प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.08.2018 को भेजे

गए कानूनी नोटिस के दिनांक 18.09.2018 को दिए गए उत्तर की प्रमाणित प्रति और वादी द्वारा एसएचओ पीएस मुखर्जी नगर को दी गई दिनांक 22.09.2018 की शिकायत की प्रमाणित प्रति।.

10. विधि का बहाना कोई बहाना नहीं है और प्रतिवादीगण को निर्धारित अवधि के भीतर वाद का बचाव करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर करने में अधिक सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि प्रतिवादीगण को वर्तमान मामले के लंबित होने के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वे निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित हुए थे।

*इसके अलावा, अधिवक्ता की गैर-मौजूदगी विलंब को क्षमा करने का कोई आधार नहीं है और प्रतिवादीगण को दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहिए था। **"बसवराज एवं अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सिविल अपील संख्या 6974/2013"** शीर्षक वाली सिविल अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:.....*

*****

*****

12. वर्तमान मामले में, प्रतिवादीगण को दिनांक 22.05.2019 को निर्णय हेतु सम्मन जारी किया गया था और प्रतिवादीगण ने वाद का बचाव करने के लिए केवल 10.07.2019 को अर्थात् 10 दिनों की निर्धारित अवधि से परे, अनुमति हेतु आवेदन दायर किया था। संदर्भाधीन आवेदन में प्रतिवादीगण द्वारा लिए गए आधार बाद में सोचे गए और अस्पष्ट प्रकृति के प्रतीत होते हैं। वैसे भी, प्रतिवादीगण को वर्तमान मामले के लंबित होने के बारे में अच्छी तरह से पता था क्योंकि उन्होंने कानून के अनुसार उपस्थिति दर्ज कराई थी, इसलिए उन्हें वाद का बचाव करने के लिए अनुमति मांगने हेतु आवेदन दाखिल करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए था।

13. तदनुसार, उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, वाद में बचाव हेतु अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर करने में विलंब को क्षमा करने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए संदर्भित आवेदन अर्थात आदेश नियम 3(7) के सह पठित धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत खारिज किया जाता है।

14. आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के उपनियम 6(3) में कहा गया है कि यदि प्रतिवादी ने बचाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है, तो वादी तत्काल निर्णय का हकदार होगा।

15. चूंकि प्रतिवादीगण निर्धारित अवधि के भीतर वाद का बचाव करने के लिए अनुमति मांगने हेतु आवेदन करने में विफल रहे हैं, इसलिए वादपत्र में किए गए कथनों को सत्य एवं सही माना जाता है।

16. उपरोक्त कारणों से, वादी का वाद डिक्री किया जाता है और वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध 30,00,000/- रूपये की राशि तथा वाद की लागत सहित डिक्री पारित की जाती है। वादी वर्तमान वाद के दाखिल होने से लेकर डिक्री की तिथि तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने का भी हकदार है। डिक्री शीट को तदनुसार तैयार किया जाए और फ़ाइल को अभिलेख में भेज दिया जाए...।"

33. उपरोक्त के अवलोकन से यह पता चलता है कि अपीलार्थीगण ने संक्षिप्त वाद का बचाव करने के लिए अपना आवेदन दायर करने में हुए विलंब के लिए क्षमा मांगने हेतु आवेदन दायर किया था। अपीलार्थी संख्या 1, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दावा किया कि उसके नौकर/अंशकालिक कर्मचारी ने निर्णय के लिए सम्मन की प्राप्ति के बारे में उसे तब तक सूचित नहीं किया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई और यह भी कि अपीलार्थीगण के *अधिवक्ता* देश से बाहर होने और बाद में दूसरे राज्य में होने के कारण यहाँ मौजूद नहीं थे।

34. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थीगण ने दावा किया कि उनके लिपिक स्टाफ की गलती के कारण, विलंब के लिए क्षमा का आवेदन बचाव हेतु अनुमति के

आवेदन के साथ दायर नहीं किया जा सका। हालाँकि, प्रत्यर्थी, अर्थात् वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विलंब को क्षमा करने के विरुद्ध तर्क दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलार्थीगण पर्याप्त कारण बताने में विफल रहे, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया तथा उक्त विलंब के लिए उनके पास वास्तविक आधार का अभाव था।

35. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने अभिलेख में बैंक स्टेटमेंट, चेक, कानूनी नोटिस और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के खिलाफ की गई शिकायतों सहित विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने टिप्पणी की कि अपीलार्थीगण द्वारा विलंब के लिए क्षमा मांगने की याचिका के बावजूद, उसमें बताए गए कारण कानून की नजर में ठोस नहीं थे और तदनुसार, बचाव के लिए अनुमति दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले अपीलार्थीगण के आवेदन और बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन खारिज कर दिए गए।

36. विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध दायर किए जा रहे संक्षिप्त वाद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी, क्योंकि वे उपस्थित हुए थे और उन्हें मुकदमे को आगे बढ़ाने में अधिक सतर्क रहना चाहिए था। परिणामस्वरूप, यह पाते हुए कि अपीलार्थी/प्रतिवादी निर्धारित अवधि के भीतर बचाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन करने में विफल रहे, प्रत्यर्थी/वादी के वादपत्र में किए गए कथनों को

सत्य और सही मान लिया गया और विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे लागत और ब्याज सहित 30,00,000/- रुपये की राशि के लिए मुकदमे को उसके पक्ष में डिक्री कर दिया गया।

37. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा आता है, वह यह तय करना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री को सही ढंग से पारित किया है या क्या इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

38. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, सि.प्र.सं. के आदेश के तहत बचाव की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की प्रकृति और दायरे को समझना विवेकपूर्ण है। उक्त प्रावधान के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

> *"...आदेश – संक्षिप्त प्रक्रिया*
> *आदेश नियम 3. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया*
>
> ***13. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया (1)*** *किसी ऐसे वाद में जिसे यह आदेश लागू होता है, वादी प्रतिवादी पर वादपत्र और उसके उपाबन्धों की एक प्रति नियम 2 के अधीन समन के साथ तामील करेगा और प्रतिवादी ऐसी तामील के दस दिन के भीतर किसी भी समय स्वयं या प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकेगा और दोनों दशाओं में वह उस पर सूचनाओं की तामील के लिए पता न्यायालय में फाइल करेगा।*
>
> *(2) जब तक अन्यथा आदेश न दिया गया हो तब तक ऐसे सभी समन, सूचनाएं और अन्य न्यायिक आदेशिकाएं जो प्रतिवादी पर*

तामील किए जाने के लिए अपेक्षित हों, उस पर सम्यक रूप से तामील की गई तब समझी जाएंगी जब वे उस पते पर छोड़ दी गई हों जो ऐसी तामील के लिए उसके द्वारा दिया गया था।

(3) उपसंजात होने के दिन ऐसी उपसंजाति की सूचना प्रतिवादी द्वारा वादी के प्लीडर को या यदि वादी स्वयं वाद लाता है तो स्वयं वादी को, ऐसी सूचना परिदत्त करके या पहले से डाक महसूल दिए गए, पत्र द्वारा, यथास्थिति, वादी के प्लीडर के या वादी के पते पर भेजकर की जाएगी।

(4) यदि प्रतिवादी उपसंजात होता है तो उसके पश्चात् वादी प्रतिवादी पर निर्णय के लिए समन परिशिष्ट ख के प्ररूप संख्यांक 4क में वा ऐसे अन्य प्ररूप में जो समय-समय पर विहित किया जाए, तामील करेगा। ऐसा समन तामील की तारीख से दस दिन से अन्यून समय में वापस किए जाने वाला होगा और जिसका समर्थन वाद-हेतुक और दावाकृत रकम का सत्यापन करने वाले शपथपत्र द्वारा किया जाएगा और उसमें यह कथन किया गया होगा कि उसके विश्वास में वाद में इस निमित्त कोई प्रतिरक्षा नहीं है।

(5) प्रतिवादी निर्णय के लिए ऐसे समन की तामील से दस दिन के भीतर किसी भी समय शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ऐसे तथ्य प्रकट करते हुए जो प्रतिरक्षा करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए पर्याप्त समझे जाएं, ऐसे वाद की प्रतिरक्षा की इजाजत के लिए ऐसे समन के आधार पर आवेदन कर सकेगा और उसे प्रतिरक्षा करने की इजाजत बिना शर्त या ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय या न्यायाधीश को न्यायसंगत प्रतीत हों, मंजूर की जा सकेगी:

परन्तु प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकट किए गए तथ्य यह उपदर्शित नहीं करते हैं कि उसके द्वारा कोई सारवान् प्रतिरक्षा की जानी है या प्रतिवादी द्वारा की जाने के लिए आशयित प्रतिरक्षा तुच्छा या तंग करने वाली है:

परन्तु यह और कि जहां वादी द्वारा दावाकृत रकम का कोई भाग प्रतिवादी द्वारा उससे शोध्य होना स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद की प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक शोध्य होने के लिए इस प्रकार स्वीकार की गई रकम प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा न कर दी जाए।

(6) निर्णय के लिए ऐसे समन की सुनवाई के समय-

(क) यदि प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और नामंजूर कर दिया गया है तो वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा; अथवा

(ख) यदि प्रतिवादी को पूर्ण दावे या उसके किसी भाग की प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा दी जाती है तो न्यायालय या न्यायाधीश उसे निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर दे जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा नियत किया जाए, और न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति देने में या ऐसे अन्य निदेशों का पालन करने में जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए हों असफल होने पर वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा।

(7) न्यायालय या न्यायाधीश, प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, प्रतिवादी को उपसंजात होने या वाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में विलंब के लिए माफी दे सकेगा।"

39. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि सि.प्र.सं. का आदेश एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसे विशिष्ट प्रकार के सिविल विवादों, विशेष रूप से वाणिज्यिक लेनदेन और ऋण वसूली से संबंधित विवादों के शीघ्र समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका व्यापक उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निर्विरोध दावों के

न्यायनिर्णयन में तेजी लाना और साथ ही न्यायिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

40. आदेश , न्यायालयों को संक्षिप्त वादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करके, जो आमतौर पर दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होते हैं, लंबी विचारण कार्यवाही की आवश्यकता के बिना मामलों का कुशलतापूर्वक निपटान करने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रियात्मक दक्षता न केवल न्यायपालिका पर भार को कम करती है, बल्कि मुकदमेबाजों को न्याय प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक मार्ग भी प्रदान करती है, जिससे सिविल मुकदमेबाजी में निष्पक्षता और शीघ्र निपटान के सिद्धांतों को कायम रखा जा सके। सि.प्र.सं. के आदेश के ढांचे के भीतर नियम 3(5) का निर्धारण, वाद के बचाव के लिए अनुमति मांगने वाले प्रतिवादीगण पर एक सख्त समयसीमा लागू करने के कारण, एक विशेष महत्व रखता है।

41. संक्षेप में कहा जाए तो, इस प्रावधान के तहत प्रतिवादीगण को उस न्यायालय के समक्ष आवेदन के माध्यम से बचाव हेतु अनुमति हेतु आवेदन करने हेतु समन की तामील की तारीख से दस दिन की समयावधि दी गई थी। इस तरह की संक्षिप्त समय-सीमा विधिक कार्यवाही के सामने त्वरित कार्रवाई की अनिवार्य प्रकृति को रेखांकित करती है, जिससे प्रतिवादीगण को अपना बचाव या आपत्तियां तुरंत प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

42. उपरोक्त संक्षिप्त अवधि लागू करके, सि.प्र.सं. के आदेश का नियम 3(5) विलंबकारी युक्तियों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है तथा संक्षिप्त वादों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करता है, जो सि.प्र.सं. के आदेश के व्यापक उद्देश्य के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य सिविल विवादों के समाधान को सुगम बनाना है। इसके अलावा, यह सख्त समयसीमा कानूनी कार्यवाही में समय पर संलग्नता के महत्व को भी रेखांकित करती है, जिससे सिविल मुकदमेबाजी के दायरे में प्रतिक्रिया और दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

43. इसके अलावा, सि.प्र.सं. के आदेश के नियम 3(7) में प्रतिवादीगण को नियम 3(5) के तहत दस दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक समय का विस्तार मांगने का प्रावधान है। नियम 3 (7) एक तंत्र प्रदान करता है और प्रतिवादीगण को निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद भी वाद का बचाव करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने या अनुमति लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, बशर्ते वे उक्त विलंब के लिए पर्याप्त कारण/आधार प्रदर्शित करें। उपर्युक्त प्रावधान कुछ असाधारण परिस्थितियों को मान्यता देने के इरादे से स्थापित किया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण को अपना बचाव प्रस्तुत करने और/या प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है, जिससे सि.प्र.सं. के आदेश के तहत शीघ्र विवाद

समाधान के व्यापक उद्देश्य को बरकरार रखते हुए न्यायनिर्णायक प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

44. बचाव की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को क्षमा करने के संबंध में विधि सुस्थापित है। **एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड बनाम नीलकॉन लिमिटेड, 2000 एससीसी ऑनलाइन डेल 39** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने टिप्पणी की कि बचाव की अनुमति मांगने वाले आवेदन दाखिल करने में विलंब को क्षमा करने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, न्याय के लिए "पर्याप्त कारण" शब्दों की उदार व्याख्या आवश्यक है और ऐसी व्याख्या केवल उन मामलों में की जानी चाहिए जहां आवेदक की ओर से कोई लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना का अभाव नहीं है। दूसरा, उचित सावधानी और ध्यान की आवश्यकता तथा उचित तत्परता की इच्छा, पर्याप्त कारण के अस्तित्व को नकार देती है। तीसरा, लापरवाही और निष्क्रियता की कमी के साथ-साथ उचित चिंता और तत्परता की उपस्थिति दिखाने के लिए साबित करने का दायित्व विस्तार की मांग करने वाले पक्ष पर है। अंततः, प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और विचारण किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"...मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी बंबई में रहते हैं और दिल्ली और बंबई में उनके अधिवक्तागण द्वारा तैयार किए गए मसौदा उत्तरों में कुछ संशोधन किए जाने के कारण उत्तर को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ, विलंब अनजाने में और सद्भावनापूर्ण है और परिस्थितियों में विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। जबकि वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादीगण की ओर से घोर लापरवाही, निष्क्रियता, तत्परता एवं सद्भावना का अभाव है तथा विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनता है। उसने राम लाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड एआईआर 1962 एससी 361, डीसीएम फाइनेंशियल सेन्सेस लिमिटेड बनाम खेतान होस्टोम्बे स्पिनल्स लिमिटेड 1998 (47) डीआरजे 210 और निरयु प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोहन लाल 1998 (46) डीआरजे 337 पर भरोसा किया है।

आदेश 37 का नियम 3(7) जो विलंब की क्षमा का प्रावधान करता है, निम्नानुसार है:—

> *—3. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया।—*
> *(7) न्यायालय या न्यायाधीश, प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, प्रतिवादी को उपसंजात होने या वाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में विलंब के लिए क्षमा दे सकेगा।*
> *परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत "पर्याप्त कारण" पर विलंब को क्षमा करने का प्रावधान भी किया गया है। राम लाल (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की व्याख्या करते समय दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। प्रथम विचारणीय बात यह है कि निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति से दूसरे पक्षकार के पक्ष में अधिकार उत्पन्न होता है और इस प्रकार अर्जित अधिकार में बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा विचार यह है कि यदि विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण*

दिखाया गया है तो विलंब को क्षमा करने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है, निश्चित रूप से, इस विवेकाधिकार का उपयोग पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कृष्णा बनाम चथप्पन आईएलआर 13 मैड 269 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का अनुमोदनपूर्वक सन्दर्भ दिया है:—

> *धारा 5 न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करती है जिसका प्रयोग न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार के रूप में उन सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए जिन्हें अच्छी तरह से समझा गया हो; 'पर्याप्त कारण' शब्दों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय प्राप्त हो सके, जबकि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना का अभाव आरोपित नहीं किया जा सकता है।*
>
> *इस मामले में, यदि विलंब को क्षमा नहीं किया जाता है, तो वादी संहिता के आदेश 37 नियम 3(6) के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार सीधे डिक्री का हकदार होगा।*

डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्वोक्त) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी कारण के पर्याप्त होने या न होने का परीक्षण यह देखना है कि क्या पक्षकार द्वारा उचित सावधानी और ध्यान बरतकर विलंब को टाला जा सकता था, क्योंकि कोई भी कार्य सद्भावनापूर्वक या नेकनीयती से नहीं माना जाएगा, जो उचित सावधानी और ध्यान से नहीं किया गया हो। यही परीक्षण निरयु प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोहन लाल (पूर्वोक्त) मामले में भी निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार विलंब की क्षमा के लिए ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत इस प्रकार होंगे: (1) जबकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए "पर्याप्त कारण" शब्दों के लिए उदार व्याख्या दी जानी है, तथापि, उदार व्याख्या केवल तभी उपलब्ध है जब धारा 5 का आह्वान करने वाले पक्षकार पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सद्भाव का अभाव आरोपित न हो; (2) उचित सावधानी और ध्यान का अभाव या उचित तत्परता *का अभाव पर्याप्त कारण के अस्तित्व को नकारता है; (3) परिसीमा अवधि का विस्तार मांगने वाले पक्षकार पर यह दिखाने का दायित्व है कि उसने सावधानी और ध्यान से कार्य किया तथा वह*

असावधान या लापरवाह नहीं था; (4) प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए "पर्याप्त कारण" के रूप में परिस्थितियाँ न्यायालय के सामने उचित होनी चाहिए।

यह निर्धारित करने के लिए कि परिस्थितियों में "पर्याप्त कारण" मौजूद है या नहीं, अधिनियमिति का उद्देश्य जिसमें इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने की मांग की जाती है, वह भी एक प्रासंगिक विचार होगा।

संहिता के आदेश 37 के प्रावधान एक विशेष अधिनियमिति हैं जो कुछ श्रेणियों के मामलों पर लागू होते हैं। इस अधिनियमिति का उद्देश्य यह है कि प्रतिवादी अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी को लम्बा न खींचे तथा वादी को ऐसे मामलों में शीघ्र डिक्री प्राप्त करने से न रोका जाए जहां व्यापार और वाणिज्य के हित में शीघ्र निर्णय वांछनीय है।

आदेश 37 की संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत, वादी को प्रतिवादी को वाद का सम्मन तामील कराना आवश्यक है। इस तरह के समन के साथ वादी द्वारा भरोसा किए गए वादपत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति संलग्न होनी चाहिए। इसकी प्राप्ति पर, प्रतिवादी को ऐसी तामील के 10 दिनों के भीतर उपस्थित होना होता है और फिर वादी को प्रतिवादी के लिए निर्णय हेतु सम्मन जारी करना होता है और फिर प्रतिवादी को ऐसी प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर बचाव हेतु अनुमति की मांग के लिए आवेदन करना होता है। स्पष्टतः प्रतिवादी द्वारा उठाए जाने वाले दोनों कदमों के बीच पर्याप्त समय का अंतराल होगा। पहले चरण में प्रतिवादी को यह सूचना दी जाती है कि यदि वह समय पर प्रतिवादी के वाद को चुनौती देना चाहता है तो बचाव के लिए अनुमति लेने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार रहे और इस प्रयोजन के लिए उसे वादपत्र की प्रतिलिपि तथा वादी द्वारा आधार माने गए अन्य दस्तावेजों से लैस किया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रतिवादीगण ने उचित सावधानी और तत्परता से काम किया है या फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में लापरवाही और असावधानी बरती है..."

45. इसके अलावा, **डी.सी.एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम खेतान होस्टोम्बे स्पिनल्स लिमिटेड, 1998 एससीसी ऑनलाइन डेल 665** में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आगे कहा कि पर्याप्त कारण मौजूद है या नहीं, इसका परीक्षण यह देखना है कि क्या प्रश्नगत विलंब को उचित सावधानी बरतकर पक्ष द्वारा टाला जा सकता था और यदि कोई कार्य उचित सावधानी और ध्यान से नहीं किया गया है तो उसे पक्षकार द्वारा सद्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार, ऊपर चर्चित परीक्षण को **निरयु प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोहन लाल, 1998 एससीसी ऑनलाइन डेल 249** के मामले में आगे निर्धारित किया गया था।

46. वर्तमान अपील के गुणागुण पर विचार करते हुए, जो सि.प्र.सं. के आदेश के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर संक्षिप्त वाद से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रत्यर्थी ने 24% प्रति वर्ष की दर से लंबित शेष और भविष्य के ब्याज सहित 30,00,000/- रुपये की वसूली की मांग की है।

47. इसके बाद, अपीलार्थीगण को सि.प्र.सं. के आदेश के तहत निर्धारित प्रोफार्मा में सम्मन जारी किया गया और तदनुसार अपीलार्थीगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सि.प्र.सं. के आदेश के तहत एक आवेदन दायर किया।

48. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने सि.प्र.सं. के आदेश नियम 3(4) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निर्णय के लिए समन जारी किया गया और विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के अनुसार, 22 मई, 2019 को अपीलार्थीगण को यह समन जारी किया गया।

49. यद्यपि अपीलार्थीगण ने संक्षिप्त वाद का बचाव करने के लिए अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, तथापि, इसे निर्णय के लिए सम्मन प्राप्त होने के बाद दस दिनों की निर्धारित अवधि से बहुत बाद में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि सि.प्र.सं. के आदेश में अनिवार्य है।

50. अपीलार्थीगण ने सि.प्र.सं. की धारा 151 के सहपठित आदेश नियम 3(7) के तहत एक आवेदन भी प्रस्तुत किया, जिसमें उक्त वाद का बचाव करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर करने में हुए विलंब के लिए क्षमा की प्रार्थना की गई।

51. विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले अपने आवेदन में अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत किया कि निर्णय हेतु सम्मन उन्हें 14 जून, 2019 को ही प्राप्त हुआ और वह भी उनके अंशकालिक कर्मचारी द्वारा, जो उन्हें इसकी सूचना देना भूल गया।

52. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आगे तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण को समन की प्राप्ति का पता 29 जून, 2019 को तब चला जब

वे कुछ दस्तावेज ढूँढ रहे थे। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण को अपने अधिवक्ता से संवाद न कर पाने के कारण भी विलंब का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके अधिवक्ता 8 जुलाई, 2019 तक यहाँ मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, जब संक्षिप्त वाद के बचाव के लिए अनुमति मांगने वाला आवेदन अंततः दायर किया गया था, तब भी अपीलार्थी के अधिवक्ता के लिपिकीय स्टाफ की गलती के कारण, इसके परिणामस्वरूप बचाव आवेदन दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले संलग्न आवेदन के बिना ही उक्त आवेदन दाखिल किया गया।

53. वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को लागू करने पर, अपीलार्थीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दायर संक्षिप्त वाद का बचाव करने की अनुमति मांगने में स्पष्ट निष्क्रियता तथा सुस्त रवैया दिखाया है।

54. अपीलार्थीगण ने विलंब का मुख्य कारण अपने अंशकालिक कर्मचारी द्वारा सम्मन प्राप्त करना बताया है तथा कहा है कि उक्त कर्मचारी ने निर्णय के लिए सम्मन प्राप्त होने के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया।

55. उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में, सि.प्र.सं. के आदेश के नियम 3(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों का संदर्भ देना प्रासंगिक हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि अन्यथा आदेश न दिया जाए, प्रतिवादी के लिए अभिप्रेत किसी भी समन को उचित रूप से

तामील माना जाना चाहिए, यदि उन्हें ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रतिवादी द्वारा बताए गए पते पर भेजा जाता है। ऊपर बताई गई वैधानिक आवश्यकता को वर्तमान मामले में विधिवत पूरा किया गया क्योंकि निर्णय के लिए सम्मन अपीलार्थी के पते पर भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि अपीलार्थीगण ने पहले ही अपनी उपस्थिति को अभिलेख में दर्ज करने के लिए आवेदन दायर कर दिया था, इसलिए उन्हें निर्णय के लिए सम्मन की अंतिम प्राप्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए था, क्योंकि संक्षिप्त वाद में यही अगला प्रक्रियात्मक कदम होता है।

56. इसलिए, अपीलार्थीगण का यह तर्क कि उन्हें सम्मन के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह उनके अंशकालिक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया था, कानूनी रूप से अस्थिर और गुणागुण रहित माना जाता है क्योंकि यह ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों में निर्धारित किसी भी उचित सावधानी या ध्यान को नहीं दिखाता है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के कार्यों को सद्भावपूर्वक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा बताए गए विलंब का दूसरा कारण उनके अधिवक्ता की यात्रा कार्यक्रम के कारण उनकी गैर-मौजूदगी थी और विद्वान विचारण न्यायालय, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कोई ठोस

कारण नहीं है और इसे विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है।

57. विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, संक्षिप्त वाद के प्रावधानों की शीघ्रतापूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विलंब की क्षमा एक छूट है और इसे नियमित रूप से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों को विलंब को, विशेष रूप से अत्यधिक विलंब को, क्षमा करते समय विलंब की क्षमा मांगने वाले पक्षकार द्वारा दिए गए कारणों की सच्चाई पर विचार करना होता है। अगर कारण वास्तविक और स्वीकार्य हों, तभी इतने ज्यादा विलंब को क्षमा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो व्यक्ति सतर्क नहीं रहता, वह लंबी अवधि के बाद राहत का हकदार नहीं होता।

58. यह माना जाता है कि 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति का अर्थ कानूनी और पर्याप्त कारणों की उपस्थिति है। तत्काल अपील में अपीलार्थीगण यह दर्शाने में असमर्थ रहे हैं कि किस प्रकार, उन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य करने के अलावा, अपनी शक्ति और नियंत्रण के भीतर सभी संभव कदम उठाए थे और बिना किसी अनावश्यक विलंब के इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

59. विद्वान विचारण न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 10 में **बसवराज बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एससीसी 81** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है कि अधिवक्ता की गैर-मौजूदगी वाला आधार विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

60. उपरोक्त उद्धृत निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि 'पर्याप्त कारण' शब्द का तात्पर्य यह है कि किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संबंधित न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त होना चाहिए।

61. इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि बचाव की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर करने में विलंब को क्षमा करने के लिए अपीलार्थीगण द्वारा लिए गए आधारों को उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है और अपीलार्थीगण की ओर से कार्रवाई और तत्परता की कमी से यह संकेत मिलता है कि उनके कार्यों में सद्भावना का अभाव था। इसके अलावा, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बचाव के अभाव को देखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा अपने वादपत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेज़ सि.प्र.सं. के आदेश के तहत डिक्री प्रदान करने का मामला बनाते हैं।

62. अपीलार्थीगण को स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए था जिनके कारण इतना ज्यादा विलंब हुआ और केवल यह कहना कि उन्हें सम्मन के बारे में जानकारी नहीं थी और उनके अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, विधिवत रूप से धारणीय आधार नहीं है। वर्तमान अपील का निर्णय केवल विलंब की क्षमा के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही किया जाना है। यदि मुक़दमेबाज़, अर्थात् अपीलार्थीगण

को समय पर विद्वान विचारण न्यायालय में जाने से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो बिना किसी औचित्य के विलंब को क्षमा करना, कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश पारित करना है और यह संक्षिप्त वाद के प्रावधानों के संबंध में विधायी मंशा के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाने के समान है।

63. इसलिए, विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने संक्षिप्त वाद का बचाव करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर करने में विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया और इसके अनुसार तैयार की गई डिक्री विधि के अनुसार है, और इस न्यायालय को इसमें कोई विकृति नहीं दिखती है।

64. साथ ही, संक्षिप्त वाद की डिक्री के संबंध में, इस न्यायालय की राय है कि चूंकि अपीलार्थीगण वाद के विरुद्ध कोई बचाव प्रस्तुत करने में विफल रहे, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी, जिससे मामला प्रत्यर्थी के पक्ष में होता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 8 और 9 में उल्लेख किया है कि इसने विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है जैसे कि प्रत्यर्थी के बचत बैंक खाते के संबंध में उसका बैंक स्टेटमेंट, प्रत्यर्थी के पक्ष में अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 1 अगस्त, 2018 का चेक संख्या 000722, जिसकी राशि 30,00,000/- रुपए है, दिनांक 14 अगस्त, 2018 का चेक रिटर्निंग मेमो, प्रत्यर्थी द्वारा परक्राम्य

लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपीलार्थीगण के विरुद्ध दायर शि.मा. संख्या 4716/2018 वाले शिकायत मामले की प्रति, दिनांक 28 अगस्त, 2018 का कानूनी मांग नोटिस, दिनांक 18 सितंबर, 2019 के नोटिस का उत्तर और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 22 सितंबर, 2018 की शिकायत की प्रति।

65. सि.प्र.सं. के आदेश के नियम 3 (6) में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी ने बचाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है या यदि आवेदन किया है, तो ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में वादी तत्काल निर्णय का हकदार होगा। उपर्युक्त उप-नियम तथा उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय की राय थी कि चूंकि अपीलार्थीगण निर्धारित अवधि के भीतर वाद का बचाव करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन करने में विफल रहे थे, इसलिए वादपत्र में किए गए कथन सही हैं और तदनुसार, उपर्युक्त संक्षिप्त वाद को प्रत्यर्थी के पक्ष में डिक्री किया गया।

66. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, इस न्यायालय का यह विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय आदेश नियम 3 (6) के तहत दिए गए वैधानिक प्रावधान के अनुसार है, जो किसी प्रतिवादी द्वारा वाद का बचाव करने के लिए अनुमति मांगने में विफल रहने की स्थिति में वादी को निर्णय का

हकदार बनाता है। इस न्यायालय को विधि की स्थापित स्थिति को लागू करने या मामले के तथ्यों का पता लगाने में कोई विकृति नहीं दिखती है। इसलिए, यह माना जाता है कि इस मामले में उचित निर्णय लिया गया है और इस संबंध में अपीलार्थीगण के तर्क खारिज किए जाते हैं।

67. निष्कर्षतः, यह कहा गया है कि विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, बचाव के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा मांगने वाले पक्षकार को प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण देना होगा तथा कुछ निराधार और काल्पनिक आधारों का दावा विलंब के लिए क्षमा के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

68. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी/प्रतिवादी, निर्धारित प्रारूप में उपस्थिति के लिए सम्मन प्राप्त करने के बाद, उपस्थित हुए और उन्हें सम्मन विधिवत तामील भी किया गया, जिसका अर्थ है कि वे सि.प्र.सं. के आदेश के प्रावधानों के निहितार्थों से पूरी तरह अवगत थे और इसलिए, उन्हें यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उन्हें नहीं पता था कि प्रत्यर्थी/वादी द्वारा दायर वर्तमान वाद उपर्युक्त प्रावधान के तहत एक संक्षिप्त वाद था। उन्हें उनके पते पर निर्णय का सम्मन विधिवत् भेजा गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने सही माना है कि कानून के बहाने को "पर्याप्त कारण" नहीं माना जा सकता है और यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय की उक्त टिप्पणी को बरकरार रखने के लिए इच्छुक है क्योंकि अपीलार्थीगण को दस दिनों की

निर्धारित अवधि के भीतर बचाव की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर करने के संबंध में कानून के प्रावधानों की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए।

69. न्यायालय का यह भी मानना है कि निर्धारित समयावधि के भीतर बचाव हेतु आवेदन दाखिल करने में विलंब जानबूझकर किया गया तथा यह अपीलार्थीगण की ओर से असावधानी एवं घोर लापरवाही का परिणाम था। इसलिए, अपीलार्थीगण बचाव हेतु अनुमति हेतु आवेदन दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा हेतु कोई भी मामला बनाने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, अपीलार्थीगण विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का खंडन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव पेश करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके तहत संक्षिप्त वाद की डिक्री प्रत्यर्थी के पक्ष में दी गई है। बचाव के लिए अनुमति मांगने के लिए अपना आवेदन दायर करने में अपीलार्थीगण की विफलता को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने सि.प्र.सं. के आदेश नियम 3 (6) के तहत प्रदान किए गए स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में संक्षिप्त वाद में डिक्री दी है।

70. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, यह न्यायालय, सि.वा जि.न्या संख्या 77/2019 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 10 फरवरी, 2020 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखता है।

71. तदनुसार, लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ-साथ तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

72. आदेश को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या., चन्द्र धारी सिंह,

30 अप्रैल, 2024
डीवाई/आरवाईपी/डीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में आदेश का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*